सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 28, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 19, 2025
Bhadra 28, Friday, Saka 1947- September 19, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 18, 2025

जी.एस.आर.72 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6क का हटाया जाना.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, का विद्यमान नियम 6क हटाया जायेगा।

3. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में शीर्ष ग्रुप-III के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"2.	जिलेदार	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	पटवारी	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव। -

"

4. अनुसूची-II का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-II हटायी जायेगी।

5. अनुसूची II-क का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची- II-क हटायी जायेगी।

[सं.एफ.2(20)डीओपी/ए-II/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 18, 2025

G.S.R.72 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) (Second Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Deletion of rule 6A.- The existing rule 6A of the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967, hereinafter referred to as the said rules, shall be deleted.

3. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules, under head Group-III, the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"2.	Ziledar	100% by promotion	-	Patwari	9 years' experience on the post mentioned in column 5.	-

"

4. Deletion of Schedule-II.- The existing Schedule-II appended to the said rules shall be deleted.

5. Deletion of Schedule-II-A.- The existing Schedule-II-A appended to the said rules shall be deleted.

[No.F.2(20)DOP/A-II/84]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.